Madhya Bharti
Humanities and Social Sciences

मध्य भारती
मानविकी एवं समाजविज्ञान की द्विभाषी शोध-पत्रिका

ISSN: 0974-0066

पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधित्व – आत्मनिर्भरता एवं आत्म सम्मान में वृद्धि

प्रतिभा तिवाडी
शोधार्थी, शिक्षा और पद्धति संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, महलां, जयपुर

डॉ. लाल कृष्ण शर्मा
शोध पर्यवेक्षक, शिक्षा और पद्धति संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, महलां, जयपुर

भूमिका –

महान संविधान निर्माता डहक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है कि "मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से आंकता हूं"।[1] उनके इस कथन से आप स्वयं अनुमान कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में नारी का कितना बड़ा योगदान है। संभवत तभी कहा गया है कि स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति संभव है ।

राष्ट्र निर्माता यह भली-भांति जानते थे कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था मूल मंत्र साबित होगा, जो कि प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक और आर्थिक जीवन का एवं महत्वपूर्ण अंग रहा है तथा सार्वजनिक रूप से जिसे अप्रैल १९९३ से पूरे देश में लागू किया गया।

१९९३ में ७३वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। जिसको बाद में बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों ने महिला आरक्षण की सीमा को ३३ फीसदी से बढ़ाकर ५० फ़ीसदी कर दिया । निश्चित रूप से इससे महिला प्रतिनिधित्व मे कई गुना वृद्धि हुई है तथा महिलाओं के लिए यह फैसला मील का पत्थर साबित हुआ है।

पंचायती राज संस्थान में महिला आरक्षण से न सिर्फ देश की आधी आबादी की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है साथ ही यह महिला सशक्तिकरण, उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बना है। अब महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित कर पा रही है।

शब्द संकेत –

प्रतिनिधित्व, पंचायती राज, संविधान, आरक्षण, आत्मनिर्भरता, अधिकार, चेतना, सशक्तिकरण, अधीनस्थ, विशिष्टता, आकांक्षा, दायित्व, नैतिक चरित्र, परम्परागत।

1. इंडिया टुडे समूह , आज तक , लेख प्रकाशन, 06 दिसंबर 2022 ।

ISSN: 0974-0066

पंचायती राज संस्थान - एक नजर -

"ग्रामीण समुदाय के विकास में शामिल करने में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलताओं के कारण बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज की स्थापना हुई"।[२] जिसका मूल उद्देश्य जनतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण और आधुनिकरण था। पंचायतों से निम्न स्तर पर ग्राम समस्याओं को सुलझाने और सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिए स्थानीय मानव शक्ति संसाधनों को सक्रिय बनाए जाने की अपेक्षा की जाती हैं।

भारत में पंचायती राज का विकास एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आया और अप्रैल १९९३ में पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया। पंचायती राज के अस्तित्व से वर्तमान तक बहुत सारे बदलाव के दौर आए परंतु इसकी संरचना में मूलभूत बदलाव ७३वें संविधान संशोधन से आया जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थान में ३३फीसदी आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया ।

निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण और कारगार कदम साबित हुआ जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर और पुरुषवादी राजनीति से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। पंचायती राज पूरे देश की केन्द्र और राज्य सरकारों का जमीनी स्तर पर आधार है अर्थात संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव के रूप में पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है।

सार के रूप में हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर के विकास में स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की गई जिसमें केंद्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार एवं दायित्व प्रदान किए गए क्योंकि स्थानीय लोग अपनी समस्या और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली-भांति हल कर सकते हैं।

पंचायती राज संस्थान में महिला जनप्रतिनिधित्व -

इस बात में कोई दो राय नहीं की १९५० तक हमारे समाज में नारी हर प्रकार से पुरुष के अधीन थी तथा समाज में उसका अधीनस्थ स्थान रहा।

परंतु एक सत्य यह भी है कि आज स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति पहले से कई गुना अधिक जागरूक हो गई हैं अब वे समानता के अवसर चाहती हैं और परंपरागत रूप से हाशिए पर पड़ी अपनी शख्सियत को एक अलग पहचान देना चाहती हैं। उसे आज स्वतंत्रता, आत्म निर्णय एवं आत्मनिर्भरता की खोज है और उसकी इसी खोज को पूरा किया भारत सरकार के ७३वें संविधान संशोधन ने, जिसने वर्षों से चली आ

2-राम आहूजा , ' भारतीय समाज ' , पृष्ठ संख्या – 319 ।

ISSN: 0974-0066

रही पुरुषवादी और पुरुष प्रधान राजनीति एवं व्यवस्था को आईना दिखाते हुए पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को एक तिहाई का आरक्षण प्रदान किया।

"देश में २.५लाख ग्राम पंचायतों से ३२ लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिसमें से ४५.१५ फ़ीसदी महिला प्रतिनिधि हैं"।[३] यह आंकड़ा महिलाओं की सत्ता में सहभागिता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। यह आंकड़ा बताता है कि समाज में किस तरह एक नई राजनीतिक शक्ति जागृत हुई है आज महिलाओं के प्रति धारणा में बदलाव आया है कल तक जो नारी किसी घर की चौखट तक सीमित थी आज वह अपने गांव व पंचायत ही नहीं जिले, राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर रही है।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था "नारी ही परिवार और समाज का केंद्र बिंदु है"।[४] अर्थात बिना महिला प्रतिनिधित्व के किसी भी राष्ट्र का विकास संभव ही नहीं है। यदि किसी राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात महिला आबादी को हाशिए पर रखा जाए तो भला उस राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है ?

आज पंचायती राज और अन्य क्षेत्रों में महिला जन प्रतिनिधित्व का स्तर बढ़ा है इसमें महिलाओं के प्रति समाज की परंपरागत रूढ़िवादिता वाली सोच में सकारात्मक बदलाव आया है । आज औरत अपनी पहचान के लिए किसी और की मोहताज नहीं रही वो अपने अधिकार, दायित्व और कर्तव्य के बारे में पूर्व से कई गुना अधिक सजग हुई है और पंचायती राज में उनका प्रतिनिधित्व यह दर्शाता है कि वे ना सिर्फ पुरुषों के बराबर हैं साथ ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पुरुष ही विशिष्टता का दावा कर सके आज उनकी निर्भयता सामाजिक विकास का ही फल है ।

पंचायती राज संस्थान में महिला जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक प्रभाव –

पंचायती राज संस्थान में महिला प्रतिनिधित्व के कई सकारात्मक परिणाम आये जिनमें से निम्न प्रमुख हैं

आत्मनिर्भरता में वृद्धि –

यह पंचायती राज संस्थान में महिला प्रतिनिधित्व का ही परिणाम है कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर हुई हैं उन्हें आज दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। आज उनमें नये आत्मविश्वास का विकास हुआ है और यह आत्मविश्वास उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करता है।

आज स्त्री अपने निर्णय लेने में सक्षम है और उसके फैसले किसी अन्य के मोहताज नहीं होते वो अपना हित – अहित समझ सकती हैं। जिन महिलाओं को केवल कल तक ग्रहणी समझा जाता था आज महिलाएं किसी भी प्रकार के प्रशासनिक, न्यायिक, विकास योजना, आर्थिक क्रिया-कलाप, स्वास्थ्य, तकनिकी,

3.डॉ कृष्ण चंद्र चौधरी, 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी', पृष्ठ संख्या 37, 2018

4.पंजाब केसरी, 'नारी परिवार की प्रतिमा' ,लेख 2017

ISSN: 0974-0066

देश-दुनिया के समसामयिकी बदलाव, उच्च शिक्षा, रोजगार सम्बन्धी प्रस्ताव लाने, योजना बनाने, उनका निरूपण करने और मुल्याकंन करने में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है।

विकास प्रक्रिया में सीधी भागीदारी -

"आज देश की २.५ लाख पंचायतों में से ४५.१५ फ़ीसदी महिला जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आई है"।[५] यह आंकड़ा बताने के लिए पर्याप्त है कि विकास प्रक्रिया में आज महिलाओ का कितना अधिक और प्रत्यक्ष योगदान है।

आज महिला अपने स्वविवेक एवं स्वतंत्र रूप से गांव, पंचायत और देश के हित में फैसले कर रही हैं और उनका कुशल नेतृत्व हजारों घरों को रोशन कर रहा है। केवल पंचायती राज या सर्वोच्च राजनैतिक पद पर ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी अलग छाप छोड़ी हैं और भारत को गौरवान्वित करने के कई स्वर्णिम अवसर प्रदान किए हैं।

आत्मसम्मान में वृद्धि -

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने का कार्य किया है। अतीत में हाशिए पर पड़ी महिला शक्ति में पंचायत राज संस्थान द्वारा प्रदत आरक्षण ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आज महिलाओं की आवाज में पहले से कई गुना अधिक ताकत हैं महिला आज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने में सक्षम भी।

हर क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व ने राष्ट्र को ही नहीं अपितु महिलाओं के आत्मविश्वास को भी एक नए शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया है आज स्त्री एक प्रतिनिधि के रूप में समाज के हर तबके की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं एवं इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं।

अपने अधिकारों एवं अवसरों का लाभ-

निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि अतीत में महिलाओं को समान अधिकार एवं स्वतंत्रता से वंचित रखा गया उन्हें शिक्षा से लेकर प्रतिनिधित्व तक किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया।

पंचायती राज में महिलाओं को प्रदत आरक्षण ने उन्हें उनके अधिकार को पुनः सौंपने का कार्य किया । आज महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति ना सिर्फ जागरूक हैं साथ ही अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर देश और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे रही हैं और प्रदत्त अपने अधिकारों एवं अवसरों का पूर्ण रूप से उपयोग कर स्वयं का और देश का विकास कर रही है ।

5.डॉ कृष्ण चंद्र चौधरी, 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी', पृष्ठ संख्या 37, 2018

ISSN: 0974-0066

राष्ट्र की आधी आबादी का लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ा –

देश की जनसंख्या में पुरुष और महिला जनसंख्या के मध्य विशेष अंतर नहीं रहा परंतु पुरुष के मुकाबले महिला प्रतिनिधित्व की खाई अतीत में बहुत गहरी थी।

यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्म का विषय ही होगा यदि उसकी आधी आबादी को समान प्रतिनिधित्व ना मिले और उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाए।

पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों ने इस खाई को खत्म करने का प्रयास किया है साथ ही उस आधी आबादी में लोकतांत्रिक चेतना का संचार किया। इसी का परिणाम है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाएं भी अब समान रूप से सहभागिता निभा रहीं हैं वे अब अपनी मांगो और अधिकारों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रही।

आधुनिकता एवं परंपरागता के मध्य संतुलन –

पंचाय ती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व ने आधुनिकता एवं परंपरागता के मध्य संतुलन स्थापित किया है आज स्त्री परंपरागत रूप से मां, बहन, बेटी और अन्य सभी रिश्ते निभा रही हैं परंतु अब वो सिर्फ उस रिश्तों तक सीमित नहीं रही उसने खुद को आधुनिकता में भी ढाल रखा है आज उसकी समाज में एक अलग स्वतंत्र पहचान है वह परंपरागत रिवाजों और कार्यों के साथ साथ, आधुनिक युग में आये परिवर्तनों दोनों को स्वीकार कर दोनों के मध्य संतुलन बना रही हैं।

ना उसने आधुनिकता के नाम पर परंपरागत रिश्तो एवं मर्यादाओं का उल्लंघन किया ना ही परंपरागता के नाम पर खुद को उन्ही रिश्तो तक सीमित कर दिया । आज स्त्री परिवारिक और सामाजिक दोनों दायित्व का पालन कर रही हैं।

अपनी पूरी क्षमता को साकार करने का अवसर –

जो महिलाएं कल तक अपनी इच्छा एवं क्षमताओं को सामाजिक कुरीतियों के पर्दे में ढक देती थी उनकी उन क्षमताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में महिला प्रतिनिधित्व के माध्यम से पंचायती राज संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा रहा है।

कल तक सामाजिक व पारिवारिक बंदिशों के कारण महिलाएं अपनी क्षमता को साकार करने और स्वतंत्र रूप से अपने स्वविवेक से फैसले लेने के अधिकारों से वंचित थी परंतु आज उनका कुशल प्रतिनिधित्व इस बात का प्रतीक है कि यदि उन्हें उचित अवसर मिले तो वह अपनी क्षमताओं को साकार एवं पूर्ण रूप से उपयोग करने का हौसला रखती हैं तथा देश हित में अपनी क्षमताओं का सर्वोच्च प्रदान कर सकती हैं।

ISSN: 0974-0066

निष्कर्ष –

भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्राचीन समय से रही है जिसकी सफलता जनता के उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व ने ना सिर्फ महिलाओं को अपितु संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित किया है आज सरकारों और लोकतंत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार कहे जाने वाले पंचायती राज संस्थान में महिला जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं के भीतर आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास भरने का कार्य किया है आज महिलाओं ने स्वयं की छवि को प्राचीन रूढ़िवादिता से दूर करके एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश की है जो कि निश्चित रूप से सुखद पहलू है क्योंकि महिलाओं की प्रगति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक है।

सन्दर्भ –

1. डहृ कृष्ण चंद्र चौधरी, 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी' , २०१८।
2. वंदना बंसल –'पंचायती राज में महिला भागीदारी', कलपज प्रकाशन, २००४।
3. सीमा सिंह – 'पंचायती राज –महिला सशक्तिकरण', प्रभात प्रकाशन, २०१०।
4. डहृ. सुन्नदा टीटके – 'महिला एवं पंचायती राज', हिमांशु प्रकाशन।
5. सुमित्रा सारंगदेवोत – 'महिला एवं पंचायतीराज', इशिका प्रकाशन, २०२०।
6. राकेश शर्मा – 'पंचायती राज–तब अब', जानवी प्रकाशन, २०१६।
7. राम आहूजा – 'भारतीय समाज', रावत पब्लिकेशन जयपुर, २०१२।